न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 126 / 2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. खेमाराम पुत्र वागाराम जाति जाट निवासी वागासर (चौखला) तहसील बायतु जिला बाडमेर।		1 आसूराम 2 खेमाराम पिसरान चुतराराम जाति जाट निवासी बुढातला (भीयाड़) 3 भीमाराम पुत्र मोहनलाल जाति सोनी निवासी भीयाड़ 4 सोहनलाल पुत्र अमृतलाल जाति जैन निवासी भीयाड़ 5 आसूराम पुत्र खंगाराम जाति जाट निवासी भीयाड़ 6 कस्तुरीदेवी पत्नी देराजराम जाति जाट निवासी चितरोली भीयाड़ 7 अनूदेवी पत्नी दीपाराम जाति जाट निवासी रामदेरिया 8 भंवरलाल पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी धोलियां (चोचरा) 9 पूराराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी कानासर गोलाई तहसील शिव 10 बालाराम पुत्र खरथाराम जाति जाट निवासी बाटाडू तहसील बायतू 11 अशोक कुमार पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी दुधू तहसील धोरीमन्ना 12 दमीदेवी पत्नी रामाराम जाति जाट निवासी कोनरा तहसील चौहटन 13 अशोक कुमार पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर तहसील बाडमेर 14 कुम्भाराम पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी मूढों की ढाणी बाडमेर तहसील बाडमेर 15 लक्ष्मीदेवी पत्नी देराजराम जाति जाट निवासी मदरूपोणियों की ढाणी तहसील बायतु 16 रूपोदेवी पत्नी नरेन्द्रकुमार 17 कमलादेवी पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी रावतसर बाडमेर तहसील बाडमेर 18 बनाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी चाडर तहसील रामसर 19 द्वारकाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाडमेर 20 लक्ष्मीदेवी पत्नी संग्रामसिंह जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाडमेर 21 धापूदेवी पत्नी अचलाराम जाति जाट निवासी हाथीतला तहसील बाडमेर 22 महेशाराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी बोला तहसील बाडमेर 23 मूलीदेवी पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 24 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :–
1. श्री मेघाराम चौधरी, वकील वादी पक्ष।
2. श्री नीम्बाराम बेनिवाल, वकील प्रतिवादी संख्या 19।
3. श्री दुर्गाराम पूनिया, वकील प्रतिवादी संख्या 23।
4. श्री बलवन्तसिंह चौधरी, वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 05, 08, 09, 16, 17।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:46:23 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम निर्णय

दिनांक 12.09.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 23 की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा उदय नगर नगर क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 2330 / 147 रकबा 30.09 बीघा भूमि की आई हुई है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 23 का संयुक्त कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि में बाहमी तौर पर भूमि का विभाजन कर पक्षकारान

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

अपने—अपने हिस्से पर काबिज है। वादग्रस्त भूमि में वादी ने खातेदार भोमाराम बेनिवाल से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 23.03.2018 को 01.00 बीघा भूमि क्रय की थी, जिस पर वादी का कब्जा काश्त है, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी का 20/609 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 व 08 से 10 मिलकर वादी के खेत पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करने पर उतारू है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य तनाब की स्थिति बनी हुई है। लिहाजा वादी अपनी क्रयासुदा 01.00 बीघा भूमि अर्थात 20/609 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड पृथक करवाने की अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रतिवादी 19, वकील प्रतिवादी संख्या 23 तथा वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 05, 08, 09, 16, 17 उपस्थित। वकील प्रतिवादी संख्या 19 ने किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया। अतः वकील प्रतिवादी संख्या 19 का जवाब बन्द किया जाता है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 05, 08, 09, 16, 17 व 23 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रत्येक खातेदार का वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक इंच पर समान रूप से हिस्सा है। प्रतिवादीगण ने वादी के कब्ज काश्त में कभी भी हस्तक्षेप नही किया है। मौजा उदय नगर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 2330/147 रकबा 30.09 बीघा भूमि में वादी का 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 01 का 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 02 का 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 03 का 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 04 का 40/609 हिस्सा अर्थात 02.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 05 का 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 08 का 40/609 हिस्सा अर्थात 02.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 09 का 60/609 हिस्सा अर्थात 03.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 16 का 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 17 का 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 23 का भी 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि खातेदारी का है तथा उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। लिहाजा वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 01 से 05, 08, 09, 16, 17 व 23 का भी उक्तानुसार हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड पृथक करवाने की अधिकारी है।

वकील वादी ने अवगत कराया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसकी चालू जमाबन्दी, पंजीबद्ध बेचान दिनांक 23.03.2018, नक्शा इत्यादी पेश किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:46:23 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2070—2073 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा उदय नगर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 2330/147 रकबा 30.09 बीघा भूमि में वादी का 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 01 का 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
(SDO), बाड़मेर

संख्या 02 का 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 03 का 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 04 का 40/609 हिस्सा अर्थात 02.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 05 का 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 08 का 40/609 हिस्सा अर्थात 02.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 09 का 60/609 हिस्सा अर्थात 03.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 16 का 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 17 का 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 23 का भी 20/609 हिस्सा अर्थात 01.00 बीघा भूमि अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी है। जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से खुले हुए है। लिहाजा जमाबन्दी अनुसार के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05, 08, 09, 16, 17 व 23 उक्त हिस्सा अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी है।

उक्त वाद में बाद समूचित सुनवाई प्राथमिक निर्णय दिनांक 07.10.2022 को पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से भूमि विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक राजस्व/पीडी/2025/1745 दिनांक 17.10.2023 के जरिये भूमि विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को उपलब्ध करवाया गया।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्ताव को उभय पक्षों द्वारा स्वीकार किया है। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिकी एंव खातेदारों द्वारा आपति पेश करने पर सहमति विभाजन प्रस्ताव पुनः तैयार करने हेतू तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को निर्देशित किया गया। तहसीलदार बाड़मेंर ग्रामीण ने अपने पत्रांक राजस्व/पीडी/2025/1841 दिनांक 15.12.2023 के जरिये भूमि विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को उपलब्ध करवाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 20, 06, 10, 21 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 व 13 सीपीसी को बहस उपरांत दिनांक 20.03.2024 स्वीकार किया गया लेकिन भूमि विभाजन प्रस्ताव पूर्व में न्यायालय को प्राप्त हो चुका था, प्रतिवादीगण संख्या 20, 06, 10, 21 को जवाब पेश करने का अवसर प्रदान करने पर, उनको भी न्यायालय में अपना पक्ष रखना न्यायोचित मानते हुए पुनः सभी पक्षकारों की उपस्थिति में बाई मिटस एण्ड बाउंड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतू तहसीलदार बाड़मेंर ग्रामीण को निर्देशि[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashanth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:46:23 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बाड़मेंर ग्रा[illegible]व/पीडी/2025/1429 दिनांक 31.07.2025 के जरिये [illegible] को उपलब्ध करवाया गया।

राजस्व द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर खातेदारान के हस्ताक्षर है। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई, वकील पक्षकारान द्वारा तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई, वकील पक्षकारान द्वारा तहसीलदार

सहायक कलेक्टर
(SDO), बाड़मेर

बाड़मेर ग्रामीण द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुसार एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। लिहाजा वादी का वाद व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा उदयनगर पटवार हल्का बाड़मेंर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2692/2330 रकबा 4.8774 हैक्टेयर भूमि का खातेदारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन कर लगान का निर्धारण किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	कमलादेवी पत्नी प्रतापसिंह हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. रावतसर, रूपोदेवी पत्नी नरेन्द्र कुमार हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. रावतसर खातेदार	उदयनगर	2692/2330	0.3237	बा.दो.	0.12	हरा
2	खेमाराम पुत्र वागाराम हि.पूर्ण जाति जाट सा. सियालो की ढाणी खातेदार	उदयनगर	2692/2330	0.1618	बा.दो. .	0.06	पीला
3	अशोक कुमार पुत्र उदाराम हि. पूर्ण जाति जाट सा. दूधु खातेदार	उदयनगर	2692/2330	0.1619	बा.दो.	0.06	गुलाबी
4	मूलीदेवी पत्नी रामलाल हि. पूर्ण जाति जाट सा. बलदेव नगर बाड़मेंर खातेदार	उदयनगर	2692/2330	0.1619	बा.दो.	0.06	आसमानी
5.	कमलादेवी पत्नी ताजाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट जोदुओ की ढाणी खींपर बाटाडू बाड़मेंर	उदयनगर	2692/2330	0.1296	बा.दो.	0.05	पीला
6.	पूराराम पुत्र हीराराम हि. 4403/10555 जाति जाट सा. कानासर, सोहनलाल पुत्र अमृतलाल हि. 1619/10555 जाति जैन सा. भीमडा कमलादेवी पत्नी ताजाराम हि. 324/10555 जाति जाट सा.जोदुओं की ढाणी खीपर तहसील बाटाडू खातेदार, चम्पा चौधरी पत्नी भगाराम हि. 1619/10555 जाति जाट सा. ए 8 कर्मचारी कॉलोनी बलदेव नगर बाड़मेंर धन्नाराम पुत्र नेनाराम हिस्सा 97/10555 जाति जाट सा. डूंगराबड़ा कुम्पलिया तहसील गिड़ा, मैना कुमारी पत्नी घनश्याम चौधरी हि. 1619/10555 जाति जाट सा. दुर्गोणियों का तला लूनाडा तहसील बाटाडू खातेदार	उदयनगर	2692/2330	1.0555	बा.दो.	0.39	हल्का हरा
7.	लक्ष्मदेवी पत्नी संग्रामसिंह हि. 52/61 लूणाराम पुत्र गुलाराम हि. 9/61 जाति जाट सा. क्रमश बलदेव नगर बाड़मेंर व उतरी डेर रेडाण गडरारोड खातेदार	उदयनगर	2692/2330	0.4929	बा.दो.	0.18	लाल
8.	लक्ष्मीदेवी पत्नी संग्रामसिंह हि. पूर्ण जाति जाट सा. बलदेव नगर बाड़मेंर खातेदार	उदयनगर	2692/2330	0.0607	बा.दो.	0.02	केसरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:46:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

	[illegible]णाराम पुत्र गुलाराम हि. पूर्ण 1/2 सा. उतरीडेर रेडाण तहसील गडरारोड बाड़मेंर खातेदार, लक्ष्मीदेवी पत्नी देराजराम हि. 1/2 जाति जाट सा. बुढातला खातेदार	उदयनगर	2692/2330	0..3238	बा.दो.	0.12	डोटेड हरा
10.	धापूदेवी पत्नी अचलाराम हि. पूर्ण जाति जाट सा. हाथीतला खातेदार	उदयनगर	2692/2330	0.1619	बा.दो.	0.06	भूरा
11.	अनुदेवी पत्नी दीपाराम हि.पूर्ण जाति जाट सा. रामदेरिया	उदयनगर	2692/2330	0.1619	बा.दो.	0.06	डोटेड काला
12.	दमीदेवी पत्नी रामाराम हि.पूर्ण जाति जाट सा. बलदेव नगर बाडमेंर खातेदार	उदयनगर	2692/2330	0.1619	बा.दो.	0.06	डोटेड आसमानी
13	कस्तूरी देवी पत्नी देराजराम हि.पूर्ण जाति जाट सा. चितरोली खातेदार	उदयनगर	2692/2330	0.1602	बा.दो.	0.06	डोटेड केसरिया
14.	द्वारकाराम पुत्र भेराराम हि.पूर्ण जाति जाट सा. बलदेव नगर, बाड़मेंर	उदयनगर	2692/2330	0.1619	बा.दो.	0.06	डोटेड बैंगनी
15.	अशोक कुमार पुत्र जोराराम हि. 1/2 जाति जाट बलदेव नगर कुम्भाराम पुत्र डालूराम हि. 1/2 जाति जाट मूढो की ढाणी खातेदार	उदयनगर	2692/2330	0.3237	बा.दो.	0.12	हल्का काला
16.	आसूराम पुत्र चुतराराम हि. 5/17 जाति जाट सा. बूढातला खेमाराम पुत्र चुतराराम हि. 5/17 जाति जाट सा. बूढातला, भंवलाल पुत्र शेराराम हि. 5/17 जाति जाट सा. धोलिया, धनाराम पुत्र नैनाराम हि. 2/17 जाति जाट सा. डूगरानाडा कुम्पलिया खातेदार	उदयनगर	2692/2330	0.5505	बा.दो.	0.20	गहरा काला
17.	बन्नाराम पुत्र रूपाराम हि. पूर्ण जाति जाट सा. चाडासर खातेदार	उदयनगर	2692/2330	0.1618	बा.दो.	0.06	डोटेड भूरा आसमानी
18.	बालाराम पुत्र खरथाराम हि. पूर्ण जाति जाट सा. बाटाडू खातेदार	उदयनगर	2692/2330	0.1618	बा.दो.	0.06	डोटेड हरा पीला

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:46:23 IST
Reason: SelfAttested

(यशार्थ शेखर)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर